

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 20 जनवरी, 2017

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, समधन, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10897/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 30.11.16 व शासनादेश संख्या-1/2017/2890/पाँच-6-16-78(नि0)/16 दिनांक 02.01.17 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 02.01.17 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, समधन, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-597.10 लाख की मूल की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, लेकिन अवशेष धनराशि की स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी।

2- अतएव आपके उक्त प्रस्तावानुसार सामु0स्वा0केन्द्र, समधन, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 02.01.17 द्वारा स्वीकृत कुल लागत के आधार पर अवशेष धनराशि रू0-497.10 लाख (रूपया चार करोड़ सत्तानबे लाख दस हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-1/2017/2890/पाँच-6-16-78(नि0)/16 दिनांक 02.01.17 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।
- (5) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-1/2017/2890/पाँच-6-16-78(नि0)/16 दिनांक 02.01.17 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104-सामु0स्वा0केन्द्र-03 सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य हैं अतएव यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या- 40 /2017/ 114 (1)/पाँच-6-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज ।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज ।
- 5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 7- अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 8- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कन्नौज ।
- 9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- 10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- 11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2017

विषय:- प्रदेश के नवनिर्मित कुल 17 ट्रामा सेन्टरों को क्रियाशील करने हेतु 17 नग सी.टी.स्कैन मशीन की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/भण्डार/9102 दिनांक 30.12.16 तथा शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पाँच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15, शासनादेश संख्या-6/2016/3103(1)/पाँच-6-15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-4/2016/3345(1)/पाँच-6-15-दिनांक 01.01.16 व शासनादेश संख्या-7/2016/3344(1)/पाँच-6-15-दिनांक 01.01.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के द्वारा प्रदेश के नवनिर्मित कुल 17 ट्रामा सेन्टरों को क्रियाशील करने हेतु 17 नग सी.टी.स्कैन मशीन की स्थापना के लिये प्रति सी.टी.स्कैन मशीन रू०-1,71,00,000.00 की लागत स्वीकृत की गयी है।

2- उक्त 17 नग सी.टी.स्कैन मशीनों के क्रय के लिये प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.16 को संपन्न उच्च स्तरीय परीक्षण समिति में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत निदेशक (भण्डार) के उक्त पत्र दिनांक 30.12.16 द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार प्रति सी.टी.स्कैन मशीन रू०-3,65,06,303.00 (रूपया तीन करोड़ पैंसठ लाख छः हजार तीन सौ तीन मात्र) की दर से कुल रू०-62,06,07,153.00 (रूपया बासठ करोड़ छः लाख सात हजार एक सौ तिरपन मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत उपकरणों के क्रय हेतु वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पाँच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15, शासनादेश संख्या-6/2016/3103(1)/पाँच-6-15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-4/2016/3345(1)/पाँच-6-15-दिनांक 01.01.16 व शासनादेश संख्या-

7/2016/3344(1)/पाँच-6-15-दिनांक 01.01.16 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।
  - (3) प्रश्नगत उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा।
  - (4) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पाँच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15, शासनादेश संख्या-6/2016/3103(1)/पाँच-6-15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-4/2016/3345(1)/पाँच-6-15-दिनांक 01.01.16 व शासनादेश संख्या-7/2016/3344(1)/पाँच-6-15-दिनांक 01.01.16 की यथावत रहेगी।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय) :  
विशेष सचिव।

संख्या- 51 /2017/ 01 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - (3) संबंधित जिलाधिकारी।
  - (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
  - (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
  - (6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
  - (7) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
  - (8) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
  - (9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
  - (10) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
  - (11) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- (12) विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,

(राम नगीना मोर्य)

संयुक्त सचिव।